

अजमेर

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com



फोन:- 2627612, 2427249 फैक्स:- 0145-2624665

वर्ष: 29 संख्या: 236

प्रभात

अजमेर, शुक्रवार 28 मार्च, 2025

आर.जे./ए.जे./73/2015-2017

पृष्ठ 8

मूल्य 2.50 रु.

## 'ममता बनर्जी, बांग्लादेश व म्यामार के घुसपैठियों को मदद कर रही हैं, भारत में प्रवेश के लिए'

संसद में फॉरेनस विधेयक पर बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए ममता बनर्जी देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही हैं।

-अंजय रौय-  
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 मार्च: केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वही दोहराया है, जो जगजाहर है।

विदेशियों से संबंधित विधेयक पर अपने जवाब में उहोंने शिकायत की है कि बंगाल सरकार ने भी बांग्लादेश से आये घुसपैठियों तथा म्यामार से आये रोहिण्याओं को मदद कर दिये हैं। पहचान पत्र के साथ अवैध रूप से आये थे लोग पूरे देश में फैलते जा रहे हैं। बंगाल सरकार का व्यापार पूरे देश की सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है तथा आम जनता की सरकार, सीमा पर फैसिंग कराने में भी पूरी बाधाएं खड़ी करती हैं। पहले तो फैसिंग के लिए भूमि नहीं दी जाती, अगर किसी तरह फैसिंग का काम शुरू भी हो तो तृणमूल के बाहुबली, भारी विरोध करते हैं और फैसिंग का काम रोकना पड़ता है।

- शाह के अनुसार, ममता बनर्जी इन घुसपैठियों को अस्थाई रूप से रहने व छुपने के लिये स्थान देती हैं तथा फिर आइडैंटिटी कार्ड (आधार कार्ड) मुहूर्या कराकर देश भर में फैलने का मौका देती है।
- "यह वोट बैंक बढ़ाने की रीति-नीति चौंतीस साल, वामपंथी सरकार ने भी चलाई थी तथा एक विषय की नेता के रूप में ममता बनर्जी संसद में जमकर विरोध करने में सबसे आगे रहती थीं, पर, अब सत्ता में आने के बाद ममता बनर्जी रूपय उस रीति-नीति का अनुसरण कर रही हैं।"
- शाह ने इसी संदर्भ में संसद में यह भी कहा कि ममता बनर्जी की सरकार, सीमा पर फैसिंग कराने में भी पूरी बाधाएं खड़ी करती हैं। पहले तो फैसिंग के लिए भूमि नहीं दी जाती, अगर किसी तरह फैसिंग का काम शुरू भी हो तो तृणमूल के बाहुबली, भारी विरोध करते हैं और फैसिंग का काम रोकना पड़ता है।

बांग्लादेशियों और रोहिण्याओं के अवैध प्रवेश को प्रोत्साहित कर रही है। त्वरित नहीं की है, जहाँ भी बाईंटर फैसिंग का लाभ के लिए यह जो किया जा रहा है, काम चल रहा था, वहाँ तृणमूल को अप्रैल राष्ट्र-हित के साथ धूमित समझौता है। शाह ने कहा कि बंगाल सरकार ने रुकवा दिया था। इसका नतीजा यह हुआ

कि आज भारत-बांग्लादेश सरहद पर कहीं से भी घुसपैठ संभव है।

लोग दृढ़ भय मुक्त होकर बंगाल में आ रहे हैं तथा सीमा से लगे इस राज्य की विधायिका प्रकृति (डीपोलिक नेचर) बदल रही है। इससे स्थानीय बंगलादेशीयों के हड्डीनों का नुकसान पहुँच रहा है, जबकि घुसपैठियों, राज्य सरकार व तृणमूल कांग्रेस के गुरुओं की मदद से, यहाँ रहने वाले बंगलादेशीयों की जीवन छीनकर अवैध रूप से आने वाले घुसपैठियों को बसाने में उनकी मदद कर रही है।

अवैध घुसपैठियों से अपना वोट बैंक बनाने और बढ़ाने की यही रणनीति राज्य की कम्पनीसिस्ट सरकारों ने अपनीयी थी। वामपंथी मोर्चे के 34 साल के शासनकाल में, कम्पनीसिस्टों ने अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दिया था।

विडम्बना देखिये, इहाँ ममता बनर्जी, जब वे विषयी नेता थीं, ने अवैध घुसपैठियों को चुपचाप आने देने की वामपंथी मोर्चे की चाल का जोरदार विरोध किया था। उहोंने उस समय बंगाल में रहे अवैध प्रवेश का संसद (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

रीट पेपर लीक की जाँच सीबीआई को नहीं दी जाएगी

जयपुर, 27 मार्च: राजस्थान हाईकोर्ट ने तीतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए आयोजित रीट-2021 परीक्षा के पेपर लीक मामले की जाँच सीबीआई को सौंपने से इकाकर कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में दायर याचिकाओं तक सहित अन्य विधेयकों को निस्तारित कर दिया है। जस्टिस अमित कुमार माथुर की खंडपीठ ने यह आदेश अधिकारी वार्तायी विधायिका परीक्षा की जाँच सीबीआई को नियुक्त कर दिया। याचिकाओं में कहा गया था कि

राजस्थान हाईकोर्ट ने रीट पेपर लीक की जाँच सीबीआई से करवाने की मांग करने वाली एवीटीपी व अन्य की याचिका खारिज करते हुए यह आदेश दिया।

परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। एसओजे ने पेपर लीक की बात मानते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। ऐसे लीक में बड़े लोगों का हाथ होने की आशंका है। ऐसे में मामले की जाँच सीबीआई से कराई जाए जिसके जवाब में राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाविधिका विज्ञान शाह ने अदालत को बताया कि उक्त परीक्षा को रख कर दोबारा परीक्षा करवाई जा चुकी है, वही एसओजे ने भी मामले में जाँच की है। ऐसे में याचिकाओं को निस्तारित किया जाए।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## पदमेश मिश्रा की ए.ए.जी. पद पर नियुक्ति के विरुद्ध अपील दायर

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह और न्यायाधीश प्रमिल कुमार माथुर ने इस मामले की अगली तारीख 4 अप्रैल तय की है।

-यादवनं शर्मा-

जयपुर, 27 मार्च: राजस्थान हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने अपनी वादीनीति 2018 में उठीत और उपयुक्त संसोधन नहीं किए और नीति की अवहेलना करते हुए पदमेश मिश्रा को ए.ए.जी. घोषित कर दिया।

जैसा कि विदित है, इस मामले में याचिकाकर्ता सुनील समदिया का कहना है कि राज्य सरकार ने अपनी वादीनीति 2018 में उठीत और उपयुक्त संसोधन नहीं किए और नीति की अवहेलना करते हुए पदमेश मिश्रा को ए.ए.जी. घोषित कर दिया।

नियुक्ति के लिए अधिवक्ता को कम से कम 10 साल का अनुभव होना अनिवार्य बताया गया है, जो पदमेश मिश्रा के पास नहीं है।

याचिकाकर्ता और ए.ए.जी. भरत व्यास को 10 साल का अनुभव होना अनिवार्य है, सौंपें अदालत ने इस मामले की अगली यादवनीति का कहना है कि यादवनीति का लिए ए.ए.जी. घोषित कर दिया। याचिकाकर्ता का कहना है कि राज्य सरकार ने अपनी वादीनीति 2018 में यादवनीति को उपयुक्त संसोधन नहीं किए और नीति की अवहेलना करते हुए पदमेश मिश्रा को ए.ए.जी. घोषित कर दिया।

याचिकाकर्ता और ए.ए.जी. घोषित करने के लिए ए.ए.जी. घोषित करने के लिए न्यूतम अनुभव के संबंध में किसी भी व्यक्ति के लिए ए.ए.जी. घोषित करने का अधिवक्ता देता है, परन्तु यह संशोधन नीति की अवैध धाराओं के विरुद्ध है, जिसमें ए.ए.जी. के नियुक्ति के लिए न्यूतम अनुभव के मापदण्ड दिए गए हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह संशोधन राज्य सरकार को किसी भी व्यक्ति विशेष को ए.ए.जी. घोषित करने के लिए न्यूतम अनुभव के संबंध में किसी भी मापदण्ड नियंत्रित नहीं है। के बिलकुल भी व्यक्ति के लिए ए.ए.जी. घोषित करने का अधिवक्ता देता है, परन्तु यह संशोधन नीति की अवैध धाराओं के विरुद्ध है, जिसमें ए.ए.जी. के नियुक्ति के लिए न्यूतम अनुभव के मापदण्ड दिए गए हैं।

याचिकाकर्ता का कहना है कि यह संशोधन राज्य सरकार को किसी भी व्यक्ति विशेष को ए.ए.जी. घोषित करने के लिए न्यूतम अनुभव के संबंध में किसी भी मापदण्ड नियंत्रित नहीं है। के बिलकुल भी व्यक्ति के लिए ए.ए.जी. घोषित करने का अधिवक्ता देता है, परन्तु यह संशोधन नीति की अवैध धाराओं के विरुद्ध है, जिसमें ए.ए.जी. के नियुक्ति के लिए अधिवक्ता का कहना है कि यह संशोधन राज्य सरकार को किसी भी व्यक्ति विशेष को ए.ए.जी. घोषित करने के लिए न्यूतम अनुभव के संबंध में किसी भी मापदण्ड नियंत्रित नहीं है। के बिलकुल भी व्यक्ति के लिए ए.ए.जी. घोषित करने का अधिवक्ता देता है, परन्तु यह संशोधन नीति की अवैध धाराओं के विरुद्ध है, जिसमें ए.ए.जी. के नियुक्ति के लिए अधिवक्ता का पास कम से कम

सबसे पहले  
लाइफ इंश्योरेंस

आजीवन गारंटीड मासिक आय की योजना बनायें हमारे बढ़े हुए वार्षिकी दरों के साथ

एक वर्ष की न्यूतम रथगितकरण अवधि के बाद वार्षिकी शुरू हो सकती है

जीवन शांति  
UIN-512N338V07 • Plan No. 758  
एक नॉन-पार, नॉन-लिंकड, व्यक्तिगत, बचत, आस्थागत वार्षिकी योजना

अधिकतम स्थगितकरण अवधि वार्षिकी योजना के लिए ऑनलाइन भी उपलब्ध

निश्चित वार्षिकी के प्रारंभ से  
अनेक वार्षिकी विकल्प  
बढ़ता हुआ मृत्यु लाभ आस्थागत दैवान

हमारा वॉट्सऐप नं.  
कहिए 'Hi'  
8976862090  
डाउनलोड करें  
एलआईआरी